HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 11902/2026
CNR: RJHC020695112026 | URN: CRLMB / 21922U / 2026

Govind @ Govinda S/o Shri Rameshwar, Aged About 42 Years, R/o Teja Chowk Kotada, Police Station Haribhau Upadhyay Nagar, Ajmer (At Present Accused Is Lodged In Central Jail, Ajmer).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Tara Chand Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Avi Airun, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/11/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय नगर, जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **97/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 109(1), 303(2), 324(4), 324(5), 189(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दिनांक 09.10.2025 से अभिरक्षा में है, आहत का पैर अन्य कारणों से चिकित्सकीय लापरवाही से विच्छेदित हुआ है, सह–अभियुक्तगण की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है, आहत के विचारण न्यायालय के समक्ष बयान हो चुके हैं, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
17:01:35 IST

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. हस्तगत मामले अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत के साथ गंभीर रूप से मारपीट की, जिससे उसके हाथ–पैर में कई अस्थिभंग कारित हुए और बाद में उसका पैर विच्छेद करना पड़ा। यद्यपि गंभीर अपराध का आरोप है लेकिन अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है, कोई सारवान पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

6. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **गोविन्द उर्फ गोविन्दा पुत्र रामेश्वर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/08/DINESH KUMAWAT